न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 04 / 2020 दायर दिनांक 30.07.2020

उनवान

1. सोसर बाई पुत्री चम्पा गाडरी आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन हाल रायपुरिया कला तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीया।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांकः 26.10.2021

—ःनिर्णयः—

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 केम्प ग्राम पंचायत उमण्ड में पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 के खाता संख्या 275 की आराजी संख्या 1052, 1053, 1054, 1056, 1339, 1340, 1341, 1342, 1365, 1366, 157, 158, 159, 160, 163 कुल किता 15 कुल रकबा 3.03 है0 स्थित है जिसमें मेरा नाम सुशीला पुत्री चम्पा का 1 / 75 हिस्सा है मेरा नाम सोसर है सरकारी दस्तावेज में भी सोसर नाम दर्ज है किन्तु रेवेन्यु रेकार्ड में सुशीला दर्ज कर दिया है जो गलत है। जिससे रेवेन्यू रेकार्ड में नाम सोसर पुत्री चम्पा किया जावें। इसी ग्राम के खाता संख्या 101 के आराजी संख्या 144 में भी प्रार्थीया का नाम सुशीला दर्ज कर दिया है जो गलत [illegible] सोसर पुत्री चम्पा किया जावें। दस्तावेजो यथा जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, [illegible] कार्ड में सोसर नाम दर्ज है। अतः निवेदन है कि मौजा उमण्ड की आराजी संख्या 1052, 1053, 1054, 1056, 1339, 1340, 1341, 1342, 1365, 1366, 157, 158, 159, 160, 163 कुल किता 15 कुल रकबा 3.03 है0 व आराजी संख्या 144 में प्रार्थीया का नाम सुशीला के बजाय सोसर बाई दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पेरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया। तहसीलदार कपासन पेरोकार सरकार ने प्रार्थीया के मौजा उमण्ड के खाता संख्या 45, 152, 153, 275, 101 बाबत् प्रार्थीया का नाम सुशीला के बजाय सोसरबाई किया जाना उचित बताया है। खाता संख्या 45, 152, 153 में प्रकरण संख्या 136 आज दिनांक 26.10.2021 को पृथक से आदेश जारी किया गया। व खाता संख्या 275 व 101 के लिये उक्त प्रकरण में जवाब की फोटो प्रति संलग्न की गयी।

प्रार्थीया ने साक्ष्य में चालु जमाबन्दी ग्राम उमण्ड की खाता संख्या 275, 101 जिनमे नाम अशुद्ध है, व आधार कार्ड, जनआधार कार्ड , भामाशाह कार्ड, ग्राम पंचायत उमण्ड के प्रमाणीकरण की फोटो प्रति प्रस्तुत किये। सहखातेदार सन्तोकी पुत्री मगनीराम गाडरी, व सेणीबाई पत्नि चम्पालाल गाडरी के बयान प्रस्तुत किये।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थीया का खाता संख्या 275, 101 में सुशीला पुत्री चम्पा जाति गाडरी रेकार्ड है। प्रार्थीया का नाम सोसरबाई प्रस्तुत दस्तावेजों, सहखातेदार के बयान से स्पष्ट होता है। अतः तहसीलदार कपासन की अनुशंषा को स्वीकार किया जाकर मौजा उमण्ड पटवार हल्का उमण्ड तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की हल्के बैरूनी के खाता संख्या 275, 101 में दर्ज सुशीला पुत्री चम्पा जाति गाडरी के बजाय सोसरबाई पुत्री चम्पालाल जाति गाडरी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। रहन व शेष बदस्तुर रहें तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार कपासन को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:32 IST
Reason: SelfAttested